E Content for the Student of Patliputra University.

Subject - Political science

B.A (Hons.) Part II Paper III

Topic - <u>Governor</u>

Dr. Umesh Chandra Shukla,
Associate Prof. Political science
R.R.S. College, Mokama

भारतीय संविधान की धारा 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी और वह इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारतीय संविधान में केन्द्रोन्मुखी संघात्मक व्यवस्था (Centre oriented federal system) का प्रभाव राज्यपाल पद की प्रकृति पर पड़ा है। यहाँ अमेरिका की तरह निर्वाचित राज्यपाल का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के आधार पर राज्यपाल पद प्रदान किया जाता है। भारतीय राज्यों के राज्यपाल राज्य के प्रधान से अधिक केन्द्र सरकार के ~~[illegible]~~ प्रतिनिधि (Centre Representative) की भूमिका में देखे जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के लिए कनाडा के मॉडल को अपनाया। भारतीय राज्यपाल केन्द्र तथा राज्य के बीच की कड़ी का कार्य करता है।

निर्वाचित राज्यपाल संसदीय परम्परा के विरुद्ध होता क्योंकि राज्यपाल को कार्यपालिका के आलंकारिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करना होता है। साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री से उसकी समतुल्यता हो जाती, जो कई संकटों का कारण हो सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीय संघात्मक ढाँचे में केन्द्र को विशेषाधिकार है - राज्यों पर नियंत्रण रखने का। अतः नियुक्त राज्यपाल भारतीय संवैधानिक प्रावधान के लिए उपयुक्त समझा गया।

संविधानतः भारतीय राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, किन्तु संसदीय परम्परा के अनुसार वास्तविक नियुक्तिकर्ता प्रधान मंत्री ही होते हैं। उनकी नियुक्ति पाँच

Scanned with CamScanner

वर्ष के लिए की जाती है। किन्तु इनकी पुनर्नियुक्ति उसी राज्य या दूसरे राज्य में हो सकती है। कार्यकाल के बीच में इन्हें पद से हटाया जा सकता है। स्थानान्तरण किया जा सकता है। दूसरे राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त जिम्मेवारी दी जा सकती है। ये सभी निर्णय केन्द्र सरकार लेते रही है। राज्यपाल के पद पर राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, राजदूतों, न्यायधीशों तथा विख्यात सामाजिक व्यक्तियों की होती रही है। किन्तु प्रायः अनुभवी, उम्रदराज तथा अवकाश प्राप्त लोगों की ही नियुक्ति की जाती रही है।

राज्यपाल की शक्तियाँ

संसदीय शासन प्रणाली के संवैधानिक प्रमुख के रूप में उसकी शक्तियाँ भारतीय राष्ट्रपति के सदृश्य हैं। उसे भी दी गई शक्तियों के प्रयोग में संसदीय परम्परा का पालन करना होता है। इसकी शक्तियों का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है।

(1) कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ — राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, वह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। संसदीय परम्परा के अनुसार यह माना है कि वह विधानसभा के बहुमत प्राप्त नेता को नियुक्त एवं शपथ दिलाने के लिए बाध्य है। किन्तु कई बार बहुमत स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में वह स्वविवेक का उपयोग करते हुए किसी को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। वह मुख्य मंत्री से कोई सूचना माँग सकता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह माँगी गई सूचना तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराता रहे। मंत्रिमंडल के परामर्श पर वह राज्य स्तरीय सभी वरीय पदधारकों की नियुक्ति करता है।

(2) विधायी शक्तियाँ — राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अविभाज्य अंग होता है। इस रूप में उसे व्यापक विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह राज्य विधायिका का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है। वह विधान सभा को भंग भी कर सकता है

Scanned with CamScanner

निर्वाचन के बाद की विधानसभा की पहली बैठक तथा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में होने वाली बैठक में विधानसभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। वह विधेयक के संबंध में विधानसभा को संदेश भेज सकता है।

विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति मिलने के उपरांत ही वह कानून बन पाता है। वह पुनर्विचार के लिए विधेयक विधानसभा को लौटा सकता है। पुनर्विचार के उपरांत विधेयक पुनः पारित होने की स्थिति में या अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। कुछ विधेयक वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है।

राज्यपाल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। वह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के छः सप्ताह तक प्रभावी रहता है।

राज्यपाल विधान सभा में ऑग्लो समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में दो सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसी प्रकार 1/6 सदस्यों का मनोनयन विधान परिषद में किया जाता है, जो साहित्य, कला, सहकारिता आंदोलन तथा समाजसेवा से जुड़े हों।

3. वित्तीय शक्तियाँ — कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राज्यपाल का दायित्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट का निर्माण एवं उसे विधानसभा से पारित करवाना होता है। कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना विधान सभा में पेश नहीं किया जा सकता है चाहे राशि के व्यय का अतिरिक्त अनुदान की मांग ही क्यों न हो। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में होती है।

4. न्यायिक शक्तियाँ - संविधान की धारा 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उनमें कारण के उल्लंघन पर दण्डित व्यक्ति के दण्ड को राज्यपाल क्षमा कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा शमादान कर सकता है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

बढ़ने लगे। सरकार की अस्थिरता के कारण राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई। इसका प्रत्यक्ष लाभ राज्यपालों को मिलने लगा। अब राज्यपाल स्वविवेकीय शक्ति के प्रयोग के अधिक अवसर के कारण राज्य की राजनीति का केन्द्र बिन्दु बन गया तथा राष्ट्रपति शासन में तो वह राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान हो गया।

उपर्युक्त दोनों ही स्थितियों के बीच एक बात स्पष्ट है कि राज्यपाल केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि है, अतः उसके व्यवहार में केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। उसका स्वविवेकीय अधिकार वस्तुतः केन्द्र सरकार के निर्देश का पालन करवाना होता है।

इसका परिणाम यह देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री के चयन तथा राष्ट्रपति शासन के परामर्श में प्रायः राज्यपालों को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है तथा न्यायिक हस्तक्षेप की स्थिति उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में राज्यपालों ने कोई सर्वमान्य परम्परा या शिष्टाचार संगत व्यवहार विकसित करने का प्रयास नहीं किया। न्यायालयों के अनेक निर्णयों राज्यपाल सम्मेलनों में अनेक प्रस्तावों के पारित होने के बावजूद राज्यपालों के निर्णय परस्पर रूप से विरोधाभाषी हैं। राज्यपाल केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाम पर केन्द्रीय सत्तारूढ़ दल के हितों के संवर्द्धन का प्रतिनिधित्व करें, यह बात संवैधानिक भावना के विरुद्ध मानी जायेगी। किन्तु यह सच है कि प्रायः सभी केन्द्रीय सरकारों ने राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करने में सहयोग किया है। इससे राज्यपाल पद की गरिमा, प्रतिष्ठा में कमी आती है। अतः आवश्यकता है कि राज्यपाल भी अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह, संविधान की भावना तथा न्यायिक निर्णयों के आलोक में करें। उनके निर्णयों के प्रति जनता में सहमति की भावना दिखलाई पड़ती हो। तभी राज्यपाल को राज्य के प्रथम नागरिक या राज्य के अभिभावक के रूप में आदर के साथ देखा जा सकेगा।